न्यायाल अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम अम्बेडकर नगर।

सत्र परीक्षण वाद सं0 104/2022
सरकार बनाम रविशंकर पाण्डेय उर्फ रवि पाण्डेय
मु0अ0सं0 110/2021
धारा–302,120बी भा0दं0सं0
व धारा–27/30 आर्म्स एक्ट
थाना–भीटी, जनपद–अम्बेडकर नगर।

18.05.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रार्थी/वादी रामचन्द्र मिश्र की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र कागज सं0 46ब मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत मुकदमें में प्रार्थी वादी मुकदमा है। पत्रावली साक्ष्य की कार्यवाही में चल रही है। प्रार्थी ने मुकदमें के साक्षी सं0–12 अमरेन्द्र प्रताप को अभियुक्त रविशंकर पाण्डेय के पुत्र अभिषेक पाण्डेय के साथ कई बार उठते–बैठते मिलते–जुलते देखा है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप सिंह अभियुक्तगण के अनुचित असर/प्रभाव में न्यायालय के समक्ष सही तथ्य न बताकर अभियुक्तगण के पक्ष में साक्ष्य/बयान देंगे। श्रीमान् जी विदित हों कि अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी कई साक्षियों को अपने अनुचित असर/प्रभाव से प्रभावित करते हुये माननीय न्यायालय में सही तथ्य प्रकट करने से रोका गया है। इस कारण प्रार्थी, साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप सिंह का साक्ष्य मुकदमें में अंकित नहीं कराना चाहता है। न्यायहित में साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप को साक्ष्य के भार से उन्मोचित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तद्नुसार साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप सिंह को साक्ष्य के भार से उन्मोचित किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं प्रार्थना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/वादी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीा/वादी ने मुकदमें के साक्षी सं0–12 अमरेन्द्र प्रताप को अभियुक्त रविशंकर पाण्डेय के पुत्र अभिषेक पाण्डेय के साथ कई बार उठते–बैठते मिलते–जुलते देखा है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप सिंह अभियुक्तगण के अनुचित असर/प्रभाव में न्यायालय के समक्ष सही तथ्य न बताकर अभियुक्तगण के पक्ष में साक्ष्य/बयान देंगे और अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी कई साक्षियों को अपने अनुचित असर/प्रभाव से प्रभावित करते हुये माननीय न्यायालय में सही तथ्य प्रकट करने से रोका गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी द्वारा साक्षी सं0 12 अमरेन्द्र प्रताप सिंह का साक्ष्य मुकदमें में अंकित नहीं कराना चाहता है और साक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह को साक्ष्य के भार से उन्मोचित किये जाने की याचना की गई है। उक्त के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि, पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ का आदेश दिनांकित 20.03.2024 पत्रावली में संलग्न है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा साक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश करने के प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये गवाह अमरेन्द्र प्रताप सिंह का बयान छः सप्ताह की अवधि के भीतर बिना किसी स्थगन के विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षी सं0 12

अमरेन्द्र प्रताप सिंह प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.03.2024 के अनुपालन में उक्त साक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह का साक्ष्य अंकित किया जाना है। ऐसी दशा में प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 46ब को स्वीकृत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.05.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0 46ब निरस्त किया जाता है।

पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(डॉ0 जया पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1/
अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी.–5946

Digitally signed by JAYA PATHAK
Date: 2024.05.18 17:19:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court